न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, बागपत।

UPBG010033052026

Bail Application/1131/2026

1– आसिफ पुत्र असलम, निवासी गाव डौला, थाना सिंघावली अहीर, जिला बागपत।

आवेदक/अभियुक्त

बनाम

1– उ०प्र० राज्य विपक्षी।

मु०अ०सं०–109/2019
धारा–307 IPC
थाना–खेकडा, जिला– बागपत।

दिनांक 22–06–2026

1– आवेदक/ अभियुक्त **आसिफ** की ओर से उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु द्वितीय प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र संजीदा पत्नी असलम द्वारा इस आशय का दिया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त का माननीय न्यायालय के समक्ष यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थनापत्र है।

3– आवेदक/ अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित घटना नहीं की है। वह पूर्व से जमानत पर था। घर का अकेला कमाने वाला व्यक्ति है जिस कारण पैसा कमाने के लिये बाहर चला गया था। जानबूझकर गलती नहीं की है। वह दिनांक 10–06–2026 से कारागार में बन्द है। निवेदन किया गया कि जमानत पर रिहा किया जाये।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक /अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था। विचारण कार्यवाही के दौरान गैर हाजिर हो जाने के कारण उसके विरूद्ध आदेशिका जारी की गयी जिसके अनुक्रम में वह दिनांक 10–06–2026 से कारागार में बन्द है। अभियुक्त ने भविष्य में उपस्थित आते रहने का आश्वासन दिया है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों में अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/ अभियुक्त **आसिफ** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा अंकन *पचास हजार रू०* का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि की *दो जमानतें* दाखिल करने पर उसे निम्नलिखित <u>अण्डरटेकिंग</u> दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए :-

1- आवेदक/ अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

2- न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर हाजिर आता रहेगा।

<u>दिनांक 22-06-2026</u>

(विष्णु प्रसाद अग्रवाल)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश, बागपत।
<u>J.O.Code UP 6258</u>